दि स्टेट ट्रेडिग कारपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : नई दिल्ली
(औद्योगिक संबंध समूह)

सं. एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/स्थापना/04605/17 17 जनवरी, 2019

परिपत्र सं.औ.सं./02/2019

विषय: संशोधन– कार्पोरेशन के एसटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के नियम 25 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति/निष्कासन और बर्खास्तगी के कठोर दंड पाने वाले पूर्व कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों की देयता।

संदर्भ: परिपत्र सं.औ.सं./03/2018 दिनांक 24.01.2018

जिन कर्मचारियों को कार्पोरेशन के एसटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के नियम 25 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति/निष्कासन और बर्खास्तगी का दंड दिया गया है उन्हें सेवानिवृत्ति लाभों की देयता संबंधी मामले का दिल्ली उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय के हाल ही के आदेशों के परिपेक्ष्य में विधि प्रभाग से परामर्श कर पुन: परीक्षण किया गया है।

मामले की समीक्षा की गई है और कानूनी स्थिति निम्नानुसार ज्ञात हुई है:-

ग्रेच्युटी को जब्त करने के लिए सेवा-समाप्ति (टर्मिनेशन ऑफ सर्विस) अपरिहार्य शर्त है अर्थात् ग्रेच्युटी को जब्त करने के लिए सेवा-समाप्ति (टर्मिनेशन ऑफ सर्विस) अनिवार्य पूर्व-शर्त है और बर्खास्तगी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4(6) के तहत उल्लिखित कृत्यों के लिए होनी चाहिए।

2. अत: अब निर्णय लिया गया है कि एसटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति/निष्कासन/बर्खास्तगी के दंड के सभी मामले निम्नानुसार विनियमित किए जाएँगे:

	लाभ	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	निष्कासन	बर्खास्तगी
क)	ग्रेच्युटी	देय	नुकसान के अनुपात की सीमा तक जब्त की जाए (ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972की धारा 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए)।	नुकसान के अनुपात की सीमा तक जब्त की जाए (ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए)।
ख)	कर्मचारी परिभाषित अधिवर्षिता अंशदान योजना	कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित देय है।	कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित देय है।	कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित देय है।
ग)	छुट्टी नकदीकरण	देय	कार्पोरेशन के देयों, यदि कोई हों, की वसूली के पश्चात देय।	कार्पोरेशन के देयों, यदि कोई हों, की वसूली के पश्चात देय।

घ)	अंशदायी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि	देय	देय	देय

3. उपर्युक्त परिवर्तनों के मद्देनजर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

जयकुमार

(एन.ए.एन. जयकुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक)

<u>प्रतिलिपि:</u>

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (कार्मिक) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (वित्त) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (विपणन) के कार्यकारी सचिव
- मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक
- मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष

} ई-मेल द्वारा

- संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त) (ले.एवं स्था.) -हार्ड कापी
- नोटिस बोर्ड -हार्ड कापी
- एसटीसी वेबसाइट

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD:: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

No. STC/CO/PERS/ESTT/04605/17 January 17th, 2019

Circular No: IR/02/2019

Sub: Amendment - Admissibility of terminal benefits to Ex-employee on imposition of major penalty of Compulsory Retirement/Removal and Dismissal under Rule 25 of STC Employees' (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 of the Corporation

Ref: Circular No: IR/03/2018 dated 24.01.2018

The issue regarding admissibility of retirement benefits to the employees on whom penalty of Compulsory Retirement/Removal/Dismissal is imposed under Rule 25 of STC Employees' (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 of the Corporation has been examined again in consultation with Legal Division in the context of recent orders of Delhi High Court and High Court of Calcutta.

The matter has been reviewed and the legal position has emerged as under:

> Termination of service is sin qua non for forfeiture of Gratuity i.e., termination of service is the necessary pre-requisite for forfeiture of the gratuity and the termination should be for the acts mentioned under Section 4 (6) of the Payment of Gratuity Act 1972.

2. It is therefore further decided that all cases of penalty of Compulsory Retirement/Removal/Dismissal under STC Employees' (CD&A) Rules, 1975 are to be regulated as under :

	Benefits	CRS	Removal	Dismissal
a)	Gratuity	Payable	To be forfeited (Keeping in view the provisions of Section 4 of the Payment of Gratuity Act, 1972) to the extent of loss proportionately.	To be forfeited (Keeping in view the provisions of Section 4 of the Payment of Gratuity Act, 1972) to the extent of loss proportionately.
b)	Employees' Defined Superannuation Contribution Scheme	Employees' contribution along with interest is payable.	Employees' contribution along with interest is payable.	Employees' contribution along with interest is payable.
c)	Leave encashment	Payable	Payable after recovering Corporation's dues, if any.	Payable after recovering Corporation's dues, if any.

d)	Contributory Provident Fund and Family Pension Fund	Payable	Payable	Payable

3. All cases of CRS will be reviewed in the light of above changes.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.

Jan 17, 2019.

(N.A.N Jeyakumar)
CGM- Personnel

Copy to:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secy. to Director(Personnel)
- Exe. Secy. to Director(Finance)
- Exe. Secy. to Director(Marketing)
- Exe. Secy. to CVO
- All CGMs/GMs } e-mail
- All Branch Managers } e-mail
- All Divisional Heads, CO } e-mail
- JGM(F) (A&E) – Hard Copy
- Notice Board – Hard Copy
- STC's Website